**अपील सूचना अधिकार संख्या 43/2018(RCMS : 2018/00113) गुलाब सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी वार्ड नं 01 चक 4 एस मलकानाखुर्द डाकघर केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम राज्य सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**16.07.2018**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुलाब सिंह स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर का प्रतिनिधि उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2018 से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर से सूचना चाही थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे समयावधि में नहीं मिलने के कारण उसके द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। उसने आगे प्रार्थना की है कि उसकी अनुपस्थिति में ही अपील का मेरिट के आधार पर निर्णय कर उसे चाही गई सूचना निःशुल्क दिलवाई जावे और लोक सूचना अधिकारी पर समय पर सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण 250/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जावे और साथ ही आर्थिक व मानसिक क्षति की पूर्ति के लिए मुआवजा दिलवाया जावे।

अपीलार्थी उपस्थित नहीं है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुलाब सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.03.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, करणपुर से निम्न सूचना चाही थीः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1. चक 7 एस पटवार हल्का 7 एस (कीकरवाली) की जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 114/91सुखजन्ट सिंह उर्फ गुरजंट सिंह वगै के खाता पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है तो बताने का कष्ट करें।
2. उपरोक्त खाता पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश किस दिनांक से प्रभावी है, बताने का कष्ट करें
3. उपरोक्त चक 7 एस के मुरब्बा नम्बर 69 के किला नं 1,2,3,4,5 10 कुल 6 बीघा दिनांक 1987 सम्वत् 2044 की प्रमाणित जमाबंदी देने का कष्ट करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, करणपुर ने अपने पत्रांक 267 दिनांक 30.04.2018 से निम्न सूचना उपलब करवाई है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार के तहत सूचना पटवारी हल्का 7 एस किकरवाली द्वारा तैयार रिपोर्ट मूल/जमाबन्दी की छांया प्रति तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

<u>रिपोर्ट पटवारी</u>

**प.म. 7 एस किकरवाली**

मूल ही प्रेषित कर प्रार्थना पत्र के संदर्भ में चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार है :

1. मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड 7 एस की वर्तमान जमाबंदी संवत 2071–2074 की खाता संख्या 114 में मुरब्बा नं 69 व 95/20 की 6.198 है. नहरी मय खाला भूमि सुखजन्ट सिंह उर्फ गुरजन्ट सिंह वगैरह के नाम खातेदार दर्ज है। उक्त खाते पर श्रीमान वरिष्ट सिविल न्यायाधीश, श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 21.03.2016 के द्वारा विवादित भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है।

सा/-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. उपरोक्त खाते पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दिनांक 05.05.2016 को श्रीमान् वरिष्ठ न्यायाधीश श्रीकरणपुर के आदेश 21.03.2016 की पालना में श्रीमान् उपतहसीलदार, केसरीसिंहपुर के आदेश क्रमांक पंजीयन/16/267 दिनांक 05.05.2016 की पालना में मुरब्बा नम्बर 69 के क.नं. 1 ता 5 व 10 कुल 6 बीघा नहरी भूमि पर आगामी आदेश तक यथा बनाए रखने का आदेश दर्ज है।
3. प्रार्थी द्वारा उक्त खाते की सम्वत् 2044 की प्रमाणित जमाबन्दी चाही गई है जो कि उपतहसील, केसरीसिंहपुर के रिकॉर्ड रूम से प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

**संलग्न : उपरोक्तानुसार।**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं उसके प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 03 के (क) व (ख) की सूचनाएं प्रश्नात्मक है और ऐसी सूचना खोजकर दिए जाने का अधिनियम में कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना का उत्तर खोजकर तैयार कर दिया जा चुका है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जहां तक बिन्दु संख्या 03 (ग) में चक 7 एस कीकरवाली की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति का सम्बन्ध है वह भी उसे लोक सूचना अधिकारी व तहसीलदार, करणपुर के प्रतिवेदन क्रमांक 267 दिनांक 30.04.2018 द्वारा दी जा चुकी है।

चूंकि वांछित सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दी जा चुकी है इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा./-
(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर